

प्रेस नोट दिनांक 21.08.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रकरण में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 रोहित यादव मय का0 राजेश प्रजापति एवं रि0का0 सौरभ यादव द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं प्रकरण से संबंधित बाल अपचारी की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मिरगढ़वा से लालाबाजार जाने वाले मार्ग पर ग्राम अतौलिया स्थित करमगंज मोड़ के पास से 01 बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रारम्भिक पूछताछ में बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि वह थाना मानिकपुर क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को जानता है तथा दिनांक 27.07.2026 को उसे बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ मुंबई ले गया था। बाद में वापस आने के पश्चात दिनांक 19.08.2026 को नाबालिग बालिका को उसके घर के पास छोड़कर चले जाने की बात बताई गई।

प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस टीम

उ0नि0 रोहित यादव मय का0 राजेश प्रजापति एवं रि0का0 सौरभ यादव, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नितिन कुमार को गिरफ्तार को थाना क्षेत्रान्तर्गत बंधवा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त नितिन कुमार पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, गैंगस्टर, अपहरण जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह नेतृत्व में उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रविप्रकाश यादव, का0 सोनू यादव व का0 विकास जायसवाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 233/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बंधवा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नितिन कुमार पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी ग्राम नमक शायर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी ग्राम नमक शायर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 - 231/2025 धारा 137(2),140(2),103(1),238,3(5),61(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 233/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रविप्रकाश यादव, का0 सोनू यादव व का0 विकास जायसवाल, थाना कोतवाली, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट (NBW) से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा मा0 सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित मु0नं0 829/2025, धारा 323, 504 भादवि में जारी NBW के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. विश्वनाथ पुत्र हीरालाल उम्र करीब 44 वर्ष, 02. शिवराम पुत्र हीरालाल उम्र करीब 32 वर्ष, निवासीगण मन्ना का पुरवा हरनाहर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम

उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का0 धर्मेन्द्र चौधरी एवं रि0का0 शिवम गोड़, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ , जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट (NBW) से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 दिनेश चन्द्र तिवारी मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय एसीजेएम, कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी रिकवरी वारण्ट, वाद संख्या 388/2023 में जारी NBW के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त, 01. देवीलाल पटवा पुत्र सजनलाल नि० पूरे बदल मौजा गौरा थाना फतनपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम

उ0नि0 दिनेश चन्द्र तिवारी मय हमराह, थाना संग्रामगढ़ , जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त नीरज तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त नीरज तिवारी के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधि०, एससी/ एसटी एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना उदयपुर पुलिस के उ०नि० अंकित श्रीवास्तव मय हमराह उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला, का० विकास बाबू, का० धीरज कुमार, रि०का० जगन्नाथ यादव, रि०का० विमलेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर रेलवे फाटक के आगे ग्राम मेढौली के लिए जाने वाला रास्ते से 01 अभियुक्त नीरज तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी नि० ग्रा० खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद अवैध देशी बम बरामद हुए।

उक्त बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज पर मु०अ०सं० 417/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नीरज तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी नि० ग्रा० खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नीरज तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी नि० ग्रा० खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं०- 407/2023, धारा- 323/336/504/506 IPC व 3(1)(झ)/3(1)(ड) SC/ST Act, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं०- 128/2023, धारा- 323/504/506 IPC व 3(1)(झ)/3(1)(ड)/3(2)(va) SC/ST Act, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं०- 162/2026, धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं०- 410/2026, धारा- 191(2)/190/112(5)/352/351(3) IPC, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0- 417/2026, धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 36/2023, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 83/2024, धारा- 147/307/323/386/504/506 IPC, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 87/2025, धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 417/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला, का0 विकास बाबू, का0 धीरज कुमार, रि0का0 जगन्नाथ यादव, रि0का0 विमलेश यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 हेमन्त, का0 दिनेश यादव व का0 गोपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी, रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बकुलाही नदी पुलिस बूथ, मऊआइमा बॉर्डर के पास से धारा 64(2)(M), 137(2), 87 बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र कौशल पटेल निवासी ग्राम छाता सिकरिया, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बकुलाही नदी पुलिस बूथ के पास पहुंचकर वांछित अभियुक्त को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके विरुद्ध थाना जेठवारा पर मुकदमा पंजीकृत है तथा वह गिरफ्तारी के डर से इधर-उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राहुल पटेल पुत्र कौशल पटेल, निवासी ग्राम छाता सिकरिया, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 हेमन्त, का0 दिनेश यादव व का0 गोपाल, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित अभियुक्त जयहिन्द उर्फ जयकुमार गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कंधई श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह रि0का0 हर्षवर्धन राघव एवं रि0का0 बजरंगी द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा 69/352/351(3) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त जयहिन्द उर्फ जयकुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बोखारे थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत रखहा पुलिस बूथ से पहले चिलबिला मार्ग स्थित नाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा शादी के लिए दबाव बनाने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई एवं फोटो/वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कंधई पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयहिन्द उर्फ जयकुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी ग्राम बोखारे, थाना शिवगढ़, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह रि0का0 हर्षवर्धन राघव एवं रि0का0 बजरंगी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित अभियुक्त जयहिन्द उर्फ जयकुमार गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कंधई श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह रि0का0 हर्षवर्धन राघव एवं रि0का0 बजरंगी द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा 69/352/351(3) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त जयहिन्द उर्फ जयकुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बोखारे थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत रखहा पुलिस बूथ से पहले चिलबिला मार्ग स्थित नाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा शादी के लिए दबाव बनाने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई एवं फोटो/वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कंधई पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयहिन्द उर्फ जयकुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी ग्राम बोखारे, थाना शिवगढ़, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह रि0का0 हर्षवर्धन राघव एवं रि0का0 बजरंगी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रकरण में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मय रि0का0 दिनेश कुमार एवं रि0का0 मन्दीप कुमार पटेल (सादे वस्त्रों में) द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अन्तर्गत धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं प्रकरण से संबंधित वांछित बाल अपचारी की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराय नाहर राय के बाएं तिराहे के पास से 01 बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रारम्भिक पूछताछ में बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि थाना जेठवारा के उक्त मुकदमे में उसका नाम आया है, जिसके कारण वह पुलिस से छिप रहा था। आज वह अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया। बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस टीम

उ0नि0 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मय रि0का0 दिनेश कुमार एवं रि0का0 मन्दीप कुमार पटेल (सादे वस्त्रों में),
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट (NBW) से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज के उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह रि०का० शेरबहादुर यादव द्वारा मा० न्यायालय ACJM 13 महोदय प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट मु०नं० 2225/09 अ०सं० 103/03 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्तहरीलाल उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बरहदा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम

उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह रि०का० शेरबहादुर यादव, थाना रानीगंज , जनपद प्रतापगढ़।